प्रेस नोट- थाना सदर बाजार

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य - 07.10.2025

जनपदीय SOG, सर्विलांस सेल व थाना सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को 48 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशांदेही से घटना मे प्रयुक्त आला कत्ल अवैध तमंचा (पोनिया) 12 बोर मय खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में अपराधों की रोकथाम एवं घटनाओं के सफल अनावरण के क्रम मे जनपदीय SOG, सर्विलांस सेल व थाना सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई |

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 06.10.2025 को वादिनी द्वारा थाना सदर बाजार पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 597/2025 धारा 103(1)/352 BNS बाबत अभियुक्त विवेक सक्सेना उर्फ शानू पुत्र स्व0 श्री सरोज सक्सेना नि0मो0 तुलसी नगर कॉलोनी बाडूजई प्रथम, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 05.10.2025 को अपने चाचा प्रमोद सक्सेना पुत्र स्व0 नत्थू लाल सक्सेना के साथ रात्रि में गाली गलौज करने व गाली गलौज का विरोध करने पर तमंचे से गोली मार देना जिससे उनकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार अरविन्द सिंह चौहान द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के दौरान जनपदीय SOG, सर्विलांस सेल व थाना सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त विवेक सक्सेना उर्फ शानू पुत्र स्व0 श्री सरोज सक्सेना नि0मो0 तुलसी नगर कॉलोनी बाडूजई प्रथम, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर को पतारसी सुरागरसी व मैनुअल इनपुट के आधार पर आज दिनांक 07.10.2025 को समय करीब 03.50 बजे रोडवेज के पीछे रेलवे लाईन फटकिया वाली रोड़ से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशांदेही पर मुकदमा उपरोक्त की घटना में उसके द्वारा प्रयुक्त आला कतल एक अदद तमंचा (पोनिया) 12 बोर मय उसकी नाल मे फसा एक अदद खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी व गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

विवेक सक्सेना उर्फ शानू पुत्र स्व0 श्री सरोज सक्सेना उम्र करीब 30 वर्ष नि0मो0 तुलसी नगर कॉलोनी बाडूजई प्रथम, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी स्थान व समय -

दिनांक 07.10.2025 , समय करीब 03.50 बजे, **स्थान-** रोड़बेज बस अड्डे के पीछे रेलवे फटकिया के पास से

बरामदगी -

घटना मे प्रयुक्त - एक अदद तमन्चा (पोनिया) 12 बोर मय उसकी नाल में फंसा खोखा कारतूस 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0स0 597/2025 धारा 103(1)/352 BNS व बढोतरी धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक अरविन्द सिंह चौहान थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

2. निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार प्रभारी SOG मय टीम

3. उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम

4.उ0नि0 श्री कुलदीप सिह थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

5. उ0नि0 श्री सौरभ शुक्ला थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर

6. उ0नि0 श्री शिवम अग्रवाल थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

7. का0 2545 आकिब सैफी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

8. चालक का0 2515 नरेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर

पूछताछ अभियुक्त -

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि आज से करीब 10 दिन पहले मेरे छोटे चाचा प्रदीप सक्सेना हमारे घर के पास बनी कार पार्किंग से अपनी गाडी निकाल रहे थे, कि तभी उनकी गाडी से हमारे घर का पालतू कुत्ता दब गया था, उस समय मैं भी वहां मौजूद था, उस दिन मेरी तथा मेरे छोटे चाचा प्रदीप की इसी बात को लेकर कहा सुनी होने लगी थी, कि तभी वहां हमारे बडे चाचा प्रमोद सक्सेना भी वहां पहुंच गये और उन्होंने मुझे काफी बुरा भला कहा मुझे उस दिन उनकी बात बहुत खराब लगी परिवार के अन्य सदस्यों ने मौके पर आकर मामला रफा दफा कर दिया लेकिन मैं उनसे रंजिश मानने लगा था। दिनांक 05/10/2025 की रात्रि करीब 11.00 बजे के आस पास जब मैं कुछ शराब पीकर ओसीएफ मेला देखकर घर वापस आया तो मुझे उसी समय चाचा प्रमोद सामने दिखायी दे गये, अचानक उन्हे देखकर मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उनको गाली दे दी तब वह मुझे कुछ कहते हुये अपने कमरे में चले गये । जिसके बाद मैंने अपने कमरे में अंदर जाकर अपने बेड गद्दे के नीचे रखी 12 बोर की तमंचा (पोनिया) व 02 कारतूस को निकालकर पुरानी बात का बदला लेने के लिये चाचा प्रमोद के कमरे की तरफ गया तब तक चाचा ने दरवाजा बंद कर लिया था, मैंने वहीं पर तमन्चे में कारतूस डालकर उसे लोड कर लिया और चाचा प्रमोद के कमरे के दरवाजे पर लात मारी जिससे उनका दरवाजा खुल गया तभी मेरे चाचा प्रमोद कुमार व चाची सीमा कमरे से बाहर आ गये, जिससे मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया मेरी चाची मुझे समझाने के लिये आगे बढी कि तभी मैंने चाचा प्रमोद के ऊपर गुस्से व आवेश में अपने हाथ में पकडा तमन्चा (पोनिया) से फायर कर दिया जिससे उनके पेट में गोली लग गयी तथा वह मौके पर ही लहू लुहान होकर गिर गये । तभी चीख पुकार सुनकर परिवार के अन्य लोग ऊपर की तरफ आने लगे तो मैं वह तमन्चा (पोनिया) लेकर घर से रेलवे स्टेशन की तरफ गलियों में छुपता छुपाता हुआ भाग गया था। और मैंने वह असलहा मालगोदाम रोड़ पर रास्ते में पडी मिली एक प्लास्टिक की थैली में लपेटकर माल गोदाम रोड पर स्टेशन की तरफ जाते हुए मजार के पास झाडियों में छिपा दिया था । उसके बाद मैं वहां से छिपता छिपाता हुआ इधर उधर शहर में अंधेरे में घूमता रहा बाद में दिन निकलने के बाद चलती फिरती रेहडी से लोवर टी शर्ट खरीद कर पहन लिया था, तथा अपने पहने कपडे शार्ट्स तथा शैण्डो बनियान को निकाल कर खन्नौत नदी में फेंक दिया था । मैं रात में बाहर जाने की फिराक में रोडवेज पर वाहन का इंतजार कर रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया मैंने आपको वह असलहा भी बरामद करा दिया है जिससे मैंने चाचा को गोली मारी थी । मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ।